[2018] 13 एस. सी. आर. 920

डॉ. ध्रुवरम मुरलीधर सोनार

वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1443)

नवंबर 22,2018

[ए. के. सिकरी और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482-शक्ति का प्रयोग, दायरे पर चर्चा की गई।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482-को रद्द करना

कार्यवाही-अपीलार्थी और सह अभियुक्त के खिलाफ एस. एस. के तहत एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। 376 (2) (बी), 420 आर/डब्ल्यू एस। 34 , आई. पी. सी. और एस. 3 (1) (x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम-अपीलार्थी-सं. 1 सरकारी डॉक्टर थे।

जबकि शिकायतकर्ता उसी प्रतिष्ठान में नर्स थी-का मामला

एक साथ रहना, कभी अपने घर पर और कभी अपने घर पर अपीलार्थी का-वे एक दूसरे के साथ संबंध में थे क्योंकि

काफी समय बिताया और एक-दूसरे की कंपनी और अपीलकर्ता का आनंद लिया

वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा-हालाँकि, जब वह आई

यह जानने के लिए कि अपीलार्थी ने किसी अन्य महिला से शादी की थी, उसने शिकायत दर्ज कराई

एक एफ. आई. आर.-अपीलार्थी ने एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए याचिका दायर की-उच्च न्यायालय

याचिका खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः ऐसा नहीं था कि

पक्षों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध को स्वीकार किया गया एस के तहत अपराध नहीं होगा। 376 , आई. पी. सी-वहाँ एक था

शिकायतकर्ता की ओर से मौन सहमति और उसके द्वारा दी गई मौन सहमति

वह उसके दिमाग में पैदा हुई गलत धारणा का परिणाम नहीं थी भले ही शिकायत में लगाए गए आरोप उन पर लगाए गए हों

अंकित मूल्य और अपनी संपूर्णता में स्वीकार करते हुए, वे अपीलार्थी के खिलाफ मामला नहीं बनायेंगे-इसके अलावा, एफ़. आई. आर. में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं था।

एस के तहत अपीलार्थी द्वारा की गई गलती। 420 , आई. पी. सी. या उसके तहत

एस. 3 (1) (x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम-इसलिए, उच्च न्यायालय एस के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने में उचित नहीं था। 482 Cr.P.C.-एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया गया-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 376 (2) (बी), 420 आर/डब्ल्यू एस। 34 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम)

अत्याचार) अधिनियम, 1989 - एस. 3 (1) (एक्स)।

920 डॉ. ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम। महाराष्ट्र राज्य

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि Cr.P.C की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग अपवाद है न कि नियम। इस धारा के तहत, उच्च न्यायालय के पास ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियां हैं जो संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने या किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्तियों का दुरुपयोग

कानून की प्रक्रिया "या" न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए "प्रदान नहीं करती है।

उच्च न्यायालय पर असीमित अधिकारिता और कानून की प्रक्रिया या न्याय के उद्देश्यों का कथित दुरुपयोग केवल इन मामलों में सुरक्षित किया जा सकता है -

कानून के अनुसार, प्रक्रियात्मक कानून सहित और अन्यथा नहीं। [पैरा 8] [926-बी-सी]

हरियाणा राज्य और अन्य। वी. भजन लाल और ओआरएस। 1992 मान लीजिए (1) एस. सी. सी. 335: [1990] 3 पूरक। एससीआर 259; राजेश बजाज बनाम। दिल्ली राज्य एन. सी. टी. और अन्य। (1999) 3 एससीसी 259:

[1999] 1 एस. सी. आर. 1012; कर्नाटक राज्य बनाम।

एम. देवेंद्रप्पा और अन्र। (2002) 3 एससीसी 89: [2002] 1 एससीआर 275; विनीत कुमार और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश और अन्र। (2017) 13 एससीसी 369 [2017] 6

एस. सी. आर. 922 पर भरोसा किया।

2. कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के तथ्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है नहीं बुलाया। अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में साक्ष्य की प्रशंसा की भी अनुमति नहीं है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप उस अपराध का गठन नहीं करते हैं जिसका संज्ञान लिया गया है, तो यह उच्च न्यायालय के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने के लिए खुला है। [पैरा 12] [928-जी

3. धारा 376 (2) (बी) एक लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार का लाभ उठाते हुए किए गए बलात्कार के अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है।

अपनी अभिरक्षा में किसी महिला को ऐसे लोक सेवक के रूप में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में आधिकारिक पद। धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है और छह विवरणों को सूचीबद्ध करती है।

अपराध से। पहला खंड संचालित होता है जहां महिला अपनी इंद्रियों के अधिकार में होती है और इसलिए, सहमति देने में सक्षम होती है, लेकिन यह कार्य उसकी इच्छा के खिलाफ किया जाता है और दूसरा जहां यह उसकी सहमति के बिना किया जाता है; तीसरा, चौथा और पांचवां जब सहमति होती है लेकिन यह ऐसी

सहमति नहीं है जो अपराधी को बहाना देती है, क्योंकि यह उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को रखने से प्राप्त की जाती है जिसमें वह [2018] 13 एस. सी. आर.

रुचि रखता है, मृत्यु या चोट के डर में। 'उसकी इच्छा के खिलाफ' अभिव्यक्ति का अर्थ है कि यह कार्य महिला के विरोध के बावजूद किया गया होगा। सहमति के बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि केवल मामले के साक्ष्य या संभावनाओं के आधार पर। सहमति को विचार-विमर्श के साथ तर्क का कार्य भी कहा जाता है। यह शिकायत किए गए कार्य को करने की अनुमति देने के लिए एक व्यक्ति के मन में एक सक्रिय इच्छा को दर्शाता है। आई. पी. सी. की धारा 90 हालांकि "सहमति" को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन वर्णन करती है कि क्या "सहमति" नहीं है। सहमति व्यक्त या निहित, मजबूर या गुमराह, प्राप्त की जा सकती है।

स्वेच्छा से या छल के माध्यम से। यदि शिकायतकर्ता द्वारा तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति दी जाती है, तो इसे दूषित कर दिया जाता है। सहमति दें।

धारा 375 के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता न केवल अधिनियम के महत्व और नैतिक गुणवत्ता के ज्ञान के आधार पर खुफिया जानकारी के प्रयोग के बाद है, बल्कि प्रतिरोध और नैतिक गुणवत्ता के बीच चयन का पूरी तरह से प्रयोग करने के बाद भी है। सहमति दें। कोई सहमति थी या नहीं, इसका पता सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक अध्ययन पर ही लगाया जा सकता है। [पारस 13,14,15] [928-एच; 929-ए, डी-ई; 930-ए-बी]

उदय बनाम. कर्नाटक राज्य (2003) 4 एससीसी 46: [2003] 2 एस. सी. आर. 211; दिलीप सिंह उर्फ दिलीप कुमार बनाम। बिहार राज्य (2005) 1 एससीसी 88: [2004] 5 पूरक। एससीआर 909; दीपक गुलाटी बनाम। हरियाणा राज्य (2013) 7 एससीसी 675:

[2013] 6 एस. सी. आर. 544-निर्भर

4. बलात्कार और सहमति से यौन संबंध बनाने के बीच स्पष्ट अंतर है। अदालत को ऐसे मामलों में बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए।

क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़ित से शादी करना चाहता था या उसका दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य था और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाला धोखाधड़ी या धोखे के दायरे में आता है। केवल वादे के उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच भी अंतर है। यदि अभियुक्त ने अभियोजक को यौन कृत्यों में लिप्त होने के लिए बहकाने के एकमात्र इरादे से वादा नहीं किया है, तो ऐसा कार्य बलात्कार नहीं होगा। एक ऐसा मामला हो सकता है जहां अभियोजक अभियुक्त के लिए अपने प्यार और जुनून के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो जाता है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा बनाई गई गलत धारणा के कारण, या जहां एक अभियुक्त, के कारण जिन परिस्थितियों का वह अनुमान नहीं लगा सकता था या जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, वे सभी डी. आर. होने के बावजूद उससे शादी करने में असमर्थ थे।

ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम। महाराष्ट्र राज्य

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध। [पैरा 20] [933-जी-एच; 934-ए-सी] 5. तत्काल मामले में, अपीलार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत था और शिकायतकर्ता था

उसी स्वास्थ्य केंद्र में सहायक नर्स के रूप में काम कर रही है और वह एक विधवा है। उसके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने उसे सूचित किया कि वह एक विवाहित व्यक्ति है और उसके अपनी पत्नी के साथ मतभेद हैं। मान लीजिए, वे अलग-अलग समुदायों से हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए एक महीने का समय चाहिए था। शिकायतकर्ता आगे बताती है कि उसे अपीलार्थी से प्यार हो गया था और उसे एक साथी की आवश्यकता थी क्योंकि वह एक विधवा थी। वे एक साथ रह रहे थे, कभी उसके घर पर और कभी अपीलार्थी के आवास पर। वे काफी समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे और एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। यह भी स्पष्ट है कि वे काफी समय से एक साथ रह रहे थे। जब उसे पता चला कि अपीलार्थी ने किसी और महिला से शादी की है, तो उसने शिकायत दर्ज कराई। यह उसका मामला नहीं है कि शिकायतकर्ता ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया है। वह होश में आ गई थी

उन चीजों के लिए दिमाग के सक्रिय अनुप्रयोग के बाद निर्णय जो था

बलात्कार की शिकायत धारा के तहत दर्ज की गई 376 (2) ((ख) इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, एफ. आई. आर. में कहीं भी अपीलार्थी द्वारा धारा 420 के तहत की गई किसी भी गलती का उल्लेख नहीं किया गया है।

आई. पी. सी. या एस. सी./एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दायर याचिका को खारिज करना उचित नहीं था

Cr.P.C की धारा 482 के तहत अपीलार्थी। [पैरा 21,22] [934-डी-एच; 935-ए-बी] [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 259 पर निर्भर

पै

रा 9

[1999] 1 एससीआर 1012

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[2002] 1 एससीआर 275

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2017] 6 एससीआर 922

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2003] 2 एससीआर-232

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2004] 5 पूरक। एससीआर 909

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2013] 6 एससीआर 544

उस पर भरोसा करें

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2018 का सं. 1443।

उच्च न्यायालय के 02.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 के आपराधिक आवेदन संख्या 3590 में बॉम्बे में न्यायपालिका, औरंगाबाद में पीठ।

जयंत सूद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संदीप एस. देशमुख, वसीम सिद्दीकी,

संदीप सुधाकर देशमुख, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत आर. कटनेश्वरकर, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

02.07.2018 2012 के आपराधिक आवेदन No.3590 में, जिसके तहत बॉम्बे में उच्च न्यायालय (औरंगाबाद में पीठ) ने आपराधिक संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 376 (2) (बी), धारा 34 के साथ पठित 420 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'एस. सी./एस. टी. अधिनियम') की धारा 3 (1) (एक्स) और न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफ. सी. शहादा, नंदुरबार जिले की अदालत में दायर आरोप पत्र के तहत दंडनीय अपराधों के लिए म्हसावाड़ पुलिस स्टेशन, जिला नंदुरबार में पंजीकृत 2000 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (आई. डी. 1) को रद्द करने के लिए प्रक्रिया, 1973 (संक्षेप में 'आई. डी. 1')।

3. अपीलार्थी उपरोक्त दर्ज एफ. आई. आर. में अभियुक्त संख्या 1 है।

शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 4 के कहने पर। प्रासंगिक समय पर, अपीलार्थी तोरनमल, ढाडगांव तालुक, नंदुरबार जिला, डी. आर. में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत था।

ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

जबकि शिकायतकर्ता उसी प्रतिष्ठान में सहायक नर्स के रूप में काम कर रहा था। एफ. आई. आर. में शिकायतकर्ता द्वारा संक्षेप में लगाए गए आरोप हैं कि उसके पति की मृत्यु 05.11.1997 पर हुई थी, जो उसे और उसके दो बच्चों को पीछे छोड़ गया था। इस दौरान, अपीलार्थी ने उसे सूचित किया कि उसके और उसकी पत्नी के बीच मतभेद हैं, और इसलिए, वह अपनी पत्नी को तलाक देने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि चूंकि वे अलग-अलग समुदायों से हैं, इसलिए उनकी शादी के पंजीकरण के लिए एक महीने की आवश्यकता है। इसलिए, वह अपीलार्थी के साथ उसके सरकारी आवास में रहने लगी। एफ़. आई. आर. में आगे कहा गया है कि उसे अपीलार्थी से प्यार हो गया था और उसे साथी की ज़रूरत थी क्योंकि वह एक विधवा है। इसलिए, वे एक साथ रहने लगे, जैसे कि वे पति-पत्नी हों। वे कुछ समय उसके घर पर और कुछ समय अपीलार्थी के घर पर रहे। अपीलार्थी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उससे शादी कर ली हो और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे हों। हालाँकि, वह वादे के अनुसार उससे शादी करने में विफल रहा है। जब चीजें इस तरह से खड़ी थीं, तो उनके भाई, यानी आरोपी नंबर 2, उससे शादी करने का दावा करता है। इसके बाद, वर्ष 2000 में, शिकायतकर्ता को सह-अभियुक्त से अपीलार्थी की किसी अन्य महिला के साथ शादी के बारे में जानकारी मिली। इसलिए, उसने उपरोक्त शिकायत दर्ज की और अपीलार्थी और सह-अभियुक्त के खिलाफ 06.12.2000 दिनांकित प्राथमिकी दर्ज की गई।

4. जांच पूरी होने के बाद जांच एजेंसी ने

14.06.2001 पर अंतिम रिपोर्ट दायर की। अपीलार्थी ने रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के तहत आपराधिक आवेदन दायर किया

एफ. आई. आर. और आरोप पत्र। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 02.07.2018 के आदेश द्वारा आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया है। 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि तत्काल मामले में शिकायतकर्ता द्वारा अप्रत्यक्ष उद्देश्य से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता है। आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक गलत उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता अपीलार्थी के भाई के साथ संबंध में शामिल था और अपीलार्थी संबंध में नहीं था

किसी भी समय उसके साथ। वास्तव में, अपीलार्थी के भाई और शिकायतकर्ता के बीच विवाह संपन्न हुआ था। शिकायतकर्ता किसी कारण से अपीलार्थी को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था या दूसरा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है और पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, ऐसे आरोप कोई अपराध नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

नं. 1 3 ने विवादित आदेश को उचित ठहराने की मांग की है। 7. हमने बार में किए गए विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

8. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि Cr.P.C की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग अपवाद है न कि नियम। इस धारा के तहत,

उच्च न्यायालय के पास ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियां हैं जो आवश्यक हों।

संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" या "न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए" शब्द उच्च न्यायालय को असीमित अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करते हैं और कानून की प्रक्रिया या न्याय के उद्देश्यों का कथित दुरुपयोग केवल कानून के अनुसार सुरक्षित किया जा सकता है, जिसमें प्रक्रियात्मक कानून भी शामिल है और अन्यथा नहीं।

9. हरियाणा राज्य में यह न्यायालय और अन्य। वी. भजन लाल और ओआरएस। 1992 सपं. (1) एस. सी. सी. 335 ने धारा 482 Cr.P.C के दायरे और दायरे पर विस्तार से विचार किया है। गणना की गई है जहाँ Cr.P.C की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। पैरा 102 इस प्रकार हैः

" 102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, जो हमारे पास है।

ऊपर निकाले गए और पुनः प्रस्तुत किए गए, हम उदाहरण के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या

अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, हालांकि यह संभव नहीं हो सकता है

किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्धारित करना

चैनलाइज़्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया किसी का गठन नहीं करते हैं।

अपराध करना या अभियुक्त के खिलाफ मामला बनाना।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, पुलिस डी. आर. द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर संहिता की धारा 156 (1) के तहत अधिकारी

कोड।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहाँ, एफ़. आई. आर. में आरोप ए.

संज्ञेय अपराध लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध है, एक पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं है।

धारा 155 (2) के तहत अनुध्यात मजिस्ट्रेट का

कोड।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी बाधा है (जिसके तहत -

आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) संस्था के लिए और

कार्यवाहियों की निरंतरता और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो प्रभावी प्रदान करता है।

पीड़ित पक्ष की शिकायत का निवारण।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

10. राजेश बजाज बनाम। दिल्ली राज्य एन. सी. टी. और अन्य। , (1999) 3 एस. सी. सी. 259, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि एक शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत के मुख्य भाग में उस अपराध के सभी घटकों को शब्दशः पुनः प्रस्तुत करना चाहिए जो वह आरोप लगा रहा है। यदि शिकायत में अपराध की तथ्यात्मक नींव रखी गई है, तो अदालत को केवल इस आधार पर जांच चरण के दौरान आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि विवरण के साथ एक या दो तत्व नहीं बताए गए हैं।

11. कर्नाटक राज्य में v. एम. देवेंद्रप्पा और अन्न। , (2002) 3 एस. सी. सी. 89 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए Cr.P.C, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। धारा के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का

प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसी कवायद [2018] 13 एस. सी. आर. हो।

खंड में ही विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया गया। यह आगे निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत किसी भी मामले को रद्द करना उचित ठहराएगी।

यदि यह पाया जाता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाहियों को रद्द करने के बराबर है, तो अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। जब शिकायत द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता के पास क्या है, इसका आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है।

आरोप लगाया गया है और क्या कोई अपराध किया गया है, भले ही आरोप लगाए गए हों

पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

12. हाल ही में, विनीत कुमार और ओआरएस में। वी. उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश और अन्र। (2017) 13 एस. सी. सी. 369, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की हैः

" दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई अंतर्निहित शक्ति

न्याय की उन्नति के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायालय को इस प्रयास को बहुत हद तक विफल करना होगा। न्यायिक प्रक्रिया एक गंभीर कार्यवाही है जो

उत्पीड़न या उत्पीड़न के साधन में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब यह इंगित करने के लिए सामग्री होती है कि एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है, तो उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। वर्तमान एक उपयुक्त मामला है जहाँ उच्च न्यायालय को धारा के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था।

482 सीआरपीसी और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

यह स्पष्ट है कि कार्यवाही को रद्द करने के लिए, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के तथ्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया जाता है।

पुकारा। अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में साक्ष्य की प्रशंसा की भी अनुमति नहीं है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप उस अपराध का गठन नहीं करते हैं जिसका संज्ञान लिया गया है, तो यह उच्च न्यायालय के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने के लिए खुला है।

13. तत्काल मामले में, अपीलार्थी के खिलाफ एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी

और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 (2) (बी), 420 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (एक्स) के तहत सह-अभियुक्त। धारा 376 (2) (बी) सार्वजनिक डी. आर. द्वारा किए गए बलात्कार के अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है।

लोक सेवक के रूप में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में अपनी अभिरक्षा में किसी महिला पर अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाते हुए। संबंधित समय के दौरान उक्त प्रावधान निम्नानुसार थाः

" 376. बलात्कार के लिए सजा। (1) ....

2 .

जो भी हो,

(अ)

((ख) लोक सेवक होने के नाते, अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाता है और अपनी अभिरक्षा में ऐसी लोक सेवक के रूप में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है; या

(ग) से (छ)।

एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो यह दस वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

14. धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है और अपराध के छह विवरणों को सूचीबद्ध करती है। पहला खंड वहां संचालित होता है जहां महिला अपनी इंद्रियों के अधिकार में होती है और इसलिए, सहमति देने में सक्षम होती है, लेकिन यह कार्य उसकी इच्छा के खिलाफ किया जाता है और दूसरा जहां यह उसकी सहमति के बिना किया जाता है; तीसरा, चौथा और पांचवां जब सहमति होती है, लेकिन यह ऐसी सहमति नहीं है जो अपराधी को बहाना देती है, क्योंकि यह उसे, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह रुचि रखती है, मृत्यु या चोट के डर से रखने से प्राप्त होती है।

"उसकी इच्छा के खिलाफ" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि यह कार्य महिला के विरोध के बावजूद किया गया होगा। सहमति के बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि केवल मामले के साक्ष्य या संभावनाओं के आधार पर। सहमति को विचार-विमर्श के साथ तर्क का कार्य भी कहा जाता है। यह शिकायत किए गए कार्य को करने की अनुमति देने के लिए एक व्यक्ति के मन में एक सक्रिय इच्छा को दर्शाता है।

15. आई. पी. सी. की धारा 90 "सहमति" को परिभाषित करती है जिसे भय या गलत धारणा के तहत दिया जाता हैः

" धारा 90:

भय या गलत धारणा के तहत दी जाने वाली सहमति।

सहमति ऐसी सहमति नहीं है जो इस संहिता की किसी भी धारा द्वारा अभिप्रेत है, यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के डर से, या तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है, या विश्वास करने का कारण है, कि सहमति ऐसे भय या गलत धारणा के परिणामस्वरूप दी गई थी "[2018] 13 एस. सी. आर.

इस प्रकार, धारा 90 हालांकि "सहमति" को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन वर्णन करती है कि क्या "सहमति" नहीं है। सहमति व्यक्त या निहित, मजबूर या हो सकती है।

गुमराह, स्वेच्छा से या छल के माध्यम से प्राप्त किया गया। यदि शिकायतकर्ता द्वारा तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति दी जाती है, तो इसे दूषित कर दिया जाता है। के लिए सहमति

धारा 375 के उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता न केवल अधिनियम के महत्व और नैतिक गुणवत्ता के ज्ञान के आधार पर खुफिया जानकारी के प्रयोग के बाद है, बल्कि प्रतिरोध और सहमति के बीच चयन का पूरी तरह से प्रयोग करने के बाद भी है। कोई सहमति थी या नहीं, इसका पता सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक अध्ययन पर ही लगाया जा सकता है।

16. उदय बनाम। कर्नाटक राज्य (2003) 4 एस. सी. सी. 46, यह न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें अभियोजक की आयु लगभग 19 वर्ष थी। अभियुक्त के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी गई, जिससे वह गहराई से प्यार करती थी, इस वादे पर कि वह बाद में उससे शादी करेगा। अभियोजक अभियुक्त से मिलना जारी रखता था और अक्सर यौन संबंध बनाता था

संभोग किया और गर्भवती हो गई। आरोपी द्वारा उससे शादी न करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सहमति को तथ्य की गलत धारणा के तहत नहीं कहा जा सकता है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 21. अतः ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक राय की सर्वसम्मति इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि अभियोजक द्वारा दी गई सहमति

एक ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध जिसके साथ वह इस वादे पर गहराई से प्यार करती है कि वह बाद में उससे शादी करेगा, इसे तथ्य की गलत धारणा के तहत नहीं कहा जा सकता है। एक झूठा वादा संहिता के अर्थ के भीतर एक तथ्य नहीं है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन हमें यह जोड़ना होगा कि यह निर्धारित करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं है कि क्या अभियोजक द्वारा यौन संभोग के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक है, या क्या यह तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई है। अंतिम विश्लेषण में, अदालतों द्वारा निर्धारित परीक्षण सहमति के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायिक दिमाग को सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन अदालत को, प्रत्येक मामले में, अपने सामने और आसपास के साक्ष्य पर विचार करना चाहिए।

किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले परिस्थितियाँ, क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं जो इस सवाल पर असर डाल सकते हैं कि क्या सहमति स्वैच्छिक थी, या किसी समझौते के तहत दी गई थी।

तथ्य की गलत धारणा। इसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सबूतों का वजन भी करना चाहिए कि प्रत्येक को साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर है

और अपराध के प्रत्येक घटक, सहमति का अभाव उनमें से एक है।

. ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

23. इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि अदालत को ऐसे मामलों में अपनाना चाहिए, अब हम रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तत्काल मामले में, अभियोजक एक वयस्क लड़की थी

एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वह अपीलार्थी से गहरा प्यार करती थी। हालाँकि, वह इस तथ्य से अवगत थी कि चूंकि वे अलग-अलग जातियों से ताल्लुक रखते थे, इसलिए विवाह संभव नहीं था। किसी भी स्थिति में उनकी शादी के प्रस्ताव का उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गंभीरता से विरोध किया जाना तय था। वह स्वीकार करती है कि उसने अपीलार्थी को ऐसा तब बताया था जब उसने उसे पहली बार प्रस्ताव दिया था। उसके पास पर्याप्त था

जिस कार्य के लिए वह सहमति दे रही थी, उसके महत्व और नैतिक गुणवत्ता को समझने के लिए बुद्धिमत्ता। यही कारण है कि जब तक वह कर सकती थी, उसने इसे गुप्त रखा। इसके बावजूद, उन्होंने अपीलार्थी के प्रस्तावों का विरोध नहीं किया, और वास्तव में उनके आगे झुक गईं। इस प्रकार उन्होंने प्रतिरोध और सहमति के बीच एक विकल्प का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया। वह इस कृत्य के परिणामों को जानती होगी, विशेष रूप से जब वह इस तथ्य से अवगत थी कि उनकी शादी जाति के आधार पर नहीं हो सकती है। ये सभी परिस्थितियाँ हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती हैं कि उसने स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से और सचेत रूप से अपीलार्थी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी, और उनकी सहमति तथ्य की किसी भी गलत धारणा के परिणामस्वरूप नहीं थी।

17. दिलीप सिंह उर्फ दिलीप कुमार बनाम। बिहार राज्य, (2005) सी 88, न्यायालय ने निम्नलिखित दो प्रश्नों को तैयार कियाएंटः

(1) " क्या यह मनोवैज्ञानिक दबाव या अभियुक्त द्वारा किए गए प्रलोभन के सामने निष्क्रिय समर्पण का मामला है या क्या यह अभियोजक की ओर से पूरी तरह से जानने का एक सचेत निर्णय था

जिस कृत्य में उसे शामिल होने के लिए कहा गया था, उसकी प्रकृति और परिणाम क्या थे? (2) क्या अभियोजक द्वारा दी गई मौन सहमति उसके मन में पैदा हुई गलत धारणा का परिणाम थी

आरोपी उससे शादी करेगा "?

इस मामले में लड़की ने पुलिस में यह कहते हुए शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी पड़ोसी थे और उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया।

. फरवरी, 1988 में एक दिन आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया और यह कहकर उसे सांत्वना दी कि वह उससे शादी करेगा। उसने आरोपी द्वारा उससे शादी करने के वादे के बावजूद उसके साथ यौन संबंध बनाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, और इसलिए कई मौकों पर यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई। गर्भवती होने के बाद, [2018] 13 एस. सी. आर.

उसने इस बात की जानकारी अपने माता-पिता को दी। इसके बाद भी, अंतरंगता माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों की जानकारी में बनी रही, जो इस धारणा में थे कि आरोपी लड़की से शादी करेगा, लेकिन आरोपी ने उससे शादी करने से परहेज किया और उसके पिता शादी के प्रयास को विफल करने के लिए उसे गाँव से बाहर ले गए। लड़की के पिता द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए किए गए प्रयास विफल रहे। इसलिए, वह कुछ समय तक इंतजार करने के बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए विवश थी। इस तथ्यात्मक आधार के साथ, अदालत ने माना कि लड़की ने घटित घटनाओं पर सक्रिय रूप से ध्यान देने के बाद एक सचेत निर्णय लिया था। यह आगे कहा गया कि यह शादी करने के झूठे वादे के बजाय शादी करने के वादे के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी है।

नागरिक कानून के तहत नुकसान के लिए उत्तरदायी। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" शेष प्रश्न यह है कि क्या अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, यह अभिनिर्धारित करना यथोचित रूप से संभव है कि अभियुक्त ने उसे यौन संभोग के लिए प्रेरित करने के धोखाधड़ी के इरादे से शादी करने का झूठा वादा किया था। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त ने ऐसा किया था। उससे शादी करने का वादा करें और यही पीड़ित लड़की के उसके साथ यौन संबंध के लिए सहमत होने का प्रमुख कारण था। पीडब्लू 12 भी उससे शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थी जैसा कि उसने विशेष रूप से कहा था। लेकिन हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जो उचित संदेह से परे एक निष्कर्ष को जन्म देता है कि आरोपी का शुरू से ही उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था और उसने जो वादा किया था वह झूठा था।

अपने ज्ञान के लिए। से उत्पन्न होने वाली कोई परिस्थितियाँ नहीं

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य इस तथ्य को स्थापित करते हैं। दूसरी ओर, पीडब्लू 12 का यह बयान कि "बाद में", आरोपी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसके पिता और अन्य लोग उसे गाँव से दूर ले गए थे, यह संकेत देता है कि हो सकता है कि आरोपी को किसी कारण से प्रेरित किया गया हो।

उसके परिवार के बुजुर्गों द्वारा डाला गया दबाव। ऐसा लगता है कि यह शादी करने के झूठे वादे के बजाय शादी करने के वादे के उल्लंघन का मामला है। इस पहलू पर भी, इस न्यायालय की टिप्पणियां उदय मामले में पैरा 24 अपीलार्थी की सहायता के लिए आता है।

18. दीपक गुलाटी बनाम। हरियाणा राज्य, (2013) 7 एस. सी. सी. 675, न्यायालय ने बलात्कार और सहमति से यौन संबंध के बीच अंतर किया है।

यह घटना के समय 19 वर्ष की आयु के एक अभियोजक का मामला है। उसका अभियुक्त के प्रति झुकाव था। आरोपी उसे इस तथ्य का आश्वासन दे रहा था कि वह उससे शादी कर लेगा। इसलिए अभियोजक ने स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया।

अभियुक्त के साथ उससे शादी करने के लिए जाना। उसने आरोपी को डी. आर. पर बुलाया।

ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

उसके द्वारा उसे दिया गया एक फोन नंबर, यह पूछने के लिए कि वह उससे उस स्थान पर क्यों नहीं मिला था जो उनके द्वारा पहले से तय किया गया था। उसने भी लंबे समय तक उसका इंतजार किया, और जब वह आखिरकार आया, तो वह उसके साथ कर्ण झील नामक जगह पर गई, जहाँ वे यौन संबंध बनाने लगे। उसने किया। उस स्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई और किसी से कोई शिकायत नहीं की। इसके बाद, वह आरोपी के साथ कुरुक्षेत्र चली गई, जहाँ वह उसके रिश्तेदारों के साथ रहती थी। यहाँ भी, अभियोजक स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ अंतरंग हो गया। फिर वह किसी कारण से अवैध रूप से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने चली गई और एक बार फिर वहां बिड़ला मंदिर में आरोपी के संपर्क में आई। इसके बाद, वह आगे बढ़ गई

कुरुक्षेत्र में पुराने बस स्टैंड पर अभियुक्त के साथ, अंबाला के लिए रवाना होने के लिए ताकि वे दोनों अंबाला के दरबार में शादी कर सकें। बस स्टेशन पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने कहा कि पक्षकारों के बीच शारीरिक संबंध स्पष्ट रूप से अभियोजक की सहमति से विकसित हुए थे क्योंकि न तो किसी प्रतिरोध का मामला था और न ही उसने किसी भी समय कोई शिकायत की थी, इस तथ्य के बावजूद कि वह कई दिनों से आरोपी के साथ रह रही थी और उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई थी। अदालत ने आगे कहा कि उन परिस्थितियों को समझना संभव नहीं है जिनमें आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी/बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है।

19. हाल ही में, यह न्यायालय, शिवशंकर @शिवा बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्न। , 6 अप्रैल, 2018 को निपटाई गई 2018 की आपराधिक अपील No.504 में कहा गया है कि आठ साल से जारी रिश्ते के दौरान यौन संबंध बनाना 'बलात्कार' है, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के अपने आरोप के बावजूद कि वे पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बनाए रखना मुश्किल है, जिसने संभवतः शिकायतकर्ता से शादी का झूठा वादा किया होगा।

हालाँकि, 'बलात्कार' के रूप में आठ साल से जारी रिश्ते के दौरान संभोग करना मुश्किल है।

विशेष रूप से शिकायतकर्ता के अपने आरोप के सामने कि

वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे।

20. इस प्रकार, बलात्कार और सहमति से यौन संबंध के बीच एक स्पष्ट अंतर है। अदालत को ऐसे मामलों में बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़ित से शादी करना चाहता था या उसका दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य था और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद में यह धोखाधड़ी या धोखे के दायरे में आता है।

में 13 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. तत्काल मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत था और शिकायतकर्ता उसी स्वास्थ्य केंद्र में सहायक नर्स के रूप में काम कर रही थी और वह एक विधवा है। उसके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने उसे सूचित किया कि वह एक विवाहित व्यक्ति है और उसके अपनी पत्नी के साथ मतभेद हैं। मान लीजिए, वे अलग-अलग समुदायों से हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए एक महीने का समय चाहिए था। शिकायतकर्ता आगे बताती है कि उसे प्यार हो गया था

अपीलार्थी के साथ और यह कि उसे एक साथी की आवश्यकता थी क्योंकि वह एक विधवा थी। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि "चूंकि मैं भी एक विधवा थी और मुझे भी एक साथी की आवश्यकता थी, इसलिए मैं उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गई और तब से हमारा प्रेम संबंध था और तदनुसार हम एक साथ रहने लगे। हम. कभी मेरे घर पर रहता था तो कभी उसके घर पर। इस प्रकार, वे एक साथ रह रहे थे, कभी उसके घर पर और कभी अपीलार्थी के आवास पर। वे काफी समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे और एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। यह भी स्पष्ट है कि वे काफी समय से एक साथ रह रहे थे। जब उसे पता चला कि अपीलार्थी ने किसी और महिला से शादी की है, तो उसने शिकायत दर्ज कराई। यह उसका मामला नहीं है कि शिकायतकर्ता ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया है। जो कुछ हुआ था, उस पर सक्रिय रूप से ध्यान देने के बाद उन्होंने एक सचेत निर्णय लिया था। यह किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव के सामने निष्क्रिय समर्पण का मामला नहीं है।

और एक मौन सहमति थी और उसके द्वारा दी गई मौन सहमति उसके दिमाग में पैदा हुई गलत धारणा का परिणाम नहीं थी। हमारा विचार है कि भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, वे डी. आर. के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

अपीलार्थी। हमारा यह भी विचार है कि चूंकि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया बलात्कार को दिखाने में विफल रहा है, इसलिए धारा 376 (2) (बी) के तहत दर्ज शिकायत को कायम नहीं रखा जा सकता है। 22. इसके अलावा, एफ. आई. आर. में कहीं भी अपीलार्थी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 420 या एस. सी./एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत की गई किसी भी गलती का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय Cr.P.C की धारा 482 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने में उचित नहीं था।

23. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश दिनांक 02.07.2018 आपराधिक मामले में

2012 का आवेदन No.3590, इसके द्वारा अलग रखा गया है। शिकायतकर्ता द्वारा जिला नंदुरबार के म्हसावाड़ में पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसके आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ 2000 का अपराध दर्ज किया गया है, को रद्द कर दिया जाता है। आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (बी), आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित 420 और एस. सी./एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (1) (एक्स) के तहत अपराधों के लिए म्हसावाड़ पुलिस स्टेशन द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ दायर आई. डी. 1 दिनांकित आरोप पत्र को भी रद्द कर दिया गया है। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।